



# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैंक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 1683 / अका. / का.प. / 2022

रायपुर, दिनांक 25/05/2022

## विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की छैसठवीं बैठक शुक्रवार दिनांक 03.06.2022 को अपराह्न 03.00 बजे की विषयसूची

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.03.2022 एवं 01.04.2022 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।  
टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.03.2022 एवं 01.04.2022 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

### वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंकेक्षण शुल्क के भुगतान की राशि रुपए 22,93,992.00 (रुपए बाइस लाख तिरानबे हजार नौ सौ बयानबे मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।  
टीप: छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, रायपुर से विश्वविद्यालय को प्राप्त वित्तीय वर्ष 2016-17 का अंकेक्षण शुल्क राशि रुपए 22,93,992.00 (रुपए बाइस लाख तिरानबे हजार नौ सौ बयानबे मात्र) का भुगतान पश्चात् माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।
4. राज्य शासन के आदेश क्रमांक 265/एफ2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 2-5-20022 के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों के अनुरूप विश्वविद्यालय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिनांक 01.05.2022 से सातवां वेतनमान में 17 प्रतिशत से बढ़ा कर कर 22 प्रतिशत किए जाने के संबंध में विचार करना।  
टीप : 1. राज्य शासन के कर्मचारियों के अनुरूप ही विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते का भुगतान किया जाता है।  
2. राज्य शासन ने आदेश क्रमांक 265 दिनांक 02.05.2022 से सातवें वेतनमान में महंगाई भत्ते के दर दिनांक 01.05.2022 से 17 प्रतिशत से बढ़ा कर कर 22 प्रतिशत एवं छठवें वेतनमान में 164 प्रतिशत से 174 प्रतिशत कर दिया है।  
विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में वेतन प्राप्त हो रहा है। अतः सातवें वेतनमान में महंगाई भत्ते की दर को दिनांक 01.05.2022 से 22 प्रतिशत के दर से भुगतान करने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
5. डॉ. (श्रीमती) अनुसुइया बघेल, प्राध्यापक, भूगोल अध्ययनशाला, सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी. एफ. का अंतिम भुगतान राशि रुपए 30,43,905.00 (रुपए तीस लाख तिरालीस हजार नौ सौ पाँच मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।  
टीप: डॉ. (श्रीमती) अनुसुइया बघेल, प्राध्यापक, भूगोल अध्ययनशाला, सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रुपए 30,43,905.00 (रुपए तीस लाख तिरालीस हजार नौ सौ पाँच मात्र) माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

6. डॉ. (श्रीमती) अनुसुइया बघेल, प्राध्यापक, भूगोल अध्ययनशाला, सेवानिवृत्त के उपरांत अवकाश नगदीकरण राशि रुपए 19,82,448.00 (रुपए उन्नीस लाख बयासी हजार चार सौ अड़तालीस मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।  
टीप: 1. विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 1204/सामा.प्रशा./ दिनांक 22.03.2022 के द्वारा डॉ. अनुसुइया बघेल के अर्जित अवकाश का कुल 227 दिवस का नगदीकरण स्वीकृत किया गया है।  
2. अंतिम वेतन के आधार पर की गई गणना अनुसार डॉ. अनुसुइया बघेल को अवकाश नगदीकरण की राशि रु. 19,82,448.00 (रुपए उन्नीस लाख बयासी हजार चार सौ अड़तालीस मात्र) का भुगतान दिनांक 06.05.2022 को किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।
7. श्री बी.एस. राजपूत, कक्ष अधिकारी सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रुपए 19,67,081.00 (रुपए उन्नीस लाख सड़सठ हजार इक्यासी मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।  
टीप: श्री बी.एस. राजपूत, कक्ष अधिकारी सेवानिवृत्त दिनांक 30.04.2022, सामान्य प्रशासन विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) का अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के फलस्वरूप नियमानुसार सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रुपए 19,67,081.00 (रुपए उन्नीस लाख सड़सठ हजार इक्यासी मात्र) माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।
8. सत्र 2021-22 हेतु छात्रवृत्ति चयन समिति के गठन के संबंध में विचार करना।  
टीप: सत्र 2021-22 "छात्रवृत्ति चयन समिति" के लिए संकायाध्यक्षों में से तीन सदस्यों का मनोनयन किया जाना है। संकायाध्यक्षों की सूची (संलग्न है) में से किन्हीं तीन संकायाध्यक्षों को मनोनीत करने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
9. वार्षिक परीक्षा 2022 की उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हेतु नोडल केंद्रों को अग्रिम प्रदान करने के संबंध में विचार करना।  
टीप: वार्षिक परीक्षा 16 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो चुकी है। उत्तर-पुस्तिकाओं का शीघ्र मूल्यांकन कराने हेतु 11 केंद्रों का गठन किया गया है। तदनुसार उन्हें पारिश्रमिक भुगतान हेतु अनुमानित पारिश्रमिक राशि 80% प्रदान किया गया है। पारिश्रमिकराशि रुपए 2,13,65,590.00 (रुपए दो करोड़ तेरह लाख पैसठ हजर पाँच सौ नब्बे मात्र) की 80 प्रतिशत राशि रुपए 1,70,92,472.00 (रुपए एक करोड़ सत्तर लाख बयानबे हजार चार सौ बहत्तर मात्र) कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में भुगतान किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्षकार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

10. डॉ. हेमंत शर्मा, कनिष्ठ अधीक्षक के अवकाश नगदीकरण की राशि रूपए 5,40,378.00 (रूपए पाँच लाख चालीस हजार तीन सौ अटहत्तर मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।  
टीप : 1. विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 1937/स्था./सा.प्रशा./2022 रायपुर, दिनांक 09.05.2022 के द्वारा डॉ. हेमंत शर्मा के अर्जित अवकाश का कुल 220 दिन के अवकाश नगदीकरण स्वीकृत किया गया है।  
2. अंतिम वेतन के आधार पर की गई गणना अनुसार अवकाश नगदीकरण की राशि रूपए 5,40,378.00 (रूपए पाँच लाख चालीस हजार तीन सौ अटहत्तर मात्र) के भुगतान की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
11. श्री भगवान सिंह राजपूत कक्ष अधिकारी के सवोनिवृत्त होने के फलस्वरूप अवकाश नगदीकरण की राशि रूपए 5,40,033.00 (रूपए पाँच लाख चालीस हजार तैंतीस मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।  
टीप : 1. विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 1628/स्था./सा.प्रशा./2022 रायपुर, दिनांक 21.04.2022 के द्वारा श्री भगवान सिंह राजपूत के अर्जित अवकाश का कुल 227 दिन के अवकाश नगदीकरण स्वीकृत किया गया है।  
2. अंतिम वेतन के आधार पर की गई गणना अनुसार अवकाश नगदीकरण की राशि रूपए 5,40,033.00 (रूपए पाँच लाख चालीस हजार तैंतीस मात्र) का भुगतान दिनांक 06.05.2022 को किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

12. पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग का वित्त निर्देश 07/2022, पत्र क्रमांक 202/एफ 2016-04-03289/वित्त नियम/चार दिनांक 08.04.2022 को अंगीकृत किए जाने हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।  
टीप : छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्र. 202/एफ 2016-04-03289/वित्त नियम/चार दिनांक 08.04.2022 के अनुसार दिनांक 01.11.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्य के कर्मचारियों हेतु नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नवीन अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत की जा रही है कटौती 10 प्रतिशत की मासिक कटौती दिनांक 01.04.2022 से जो माह अप्रैल 2022 के लिए देय है, समाप्त करने का निर्देश दिए हैं।  
उक्त कर्मचारियों का अप्रैल माह के वेतन से सामान्य भविष्य निधि नियम अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12 प्रतिशत सामान्य भविष्य निधि राशि की कटौती किए जाने का उल्लेख किए हैं।  
सामान्य भविष्य निधि का ब्यौरा संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन स्तर पर पृथक से रखने एवं संबंधित कर्मचारियों के नवीन सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक आबंटित होने पर राशि दर्शाने का उल्लेख किए हैं।  
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 08.04.2022 (वित्त निर्देश 07/2022) विश्वविद्यालय में अंगीकृत किए जाने हेतु प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।


ग्रंथालय से प्राप्त प्रस्ताव :-

13. विदेशी ई-शोध पत्रिकाओं का क्रय बजट वर्ष 2022-23 से करने पर विचार करना।

- टीप :
1. तीन विदेशी ई-शोध पत्रिकाएँ जो विगत वर्षों से निरंतर क्रय किया की जा रही है एवं 15 विदेशी ई-शोध पत्रिकाएँ, कुल 18 विदेशी ई-शोध पत्रिकाओं का क्रय वित्तीय वर्ष 2021-22 में करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर निविदा आमंत्रित किया जाना था।
  2. प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 25.02.2022 को प्राप्त हुई। समयाभाव में निविदा प्रक्रिया पूर्ण किया जाना संभव नहीं हो सका।
  3. पत्रिकाओं का क्रय विश्वविद्यालय बजट वर्ष 2022-23 (प्रावधानित बजट मद रु. 35 लाख)से किया जाना प्रस्तावित किया गया है तथा वित्त नियंत्रक द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए नवीन प्रस्ताव के लिए कहा गया है।
- वर्ष 2022-23 में क्रय प्रक्रिया पूर्ण किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

14. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

आदेशानुसार,


  
कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1684 / अका. / का.प / 2022

रायपुर, दिनांक 25/05/2022

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)



# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

①

क्रमांक : 1405 / अका./ का.प./ 2022

रायपुर, दिनांक 6 / 03/2022

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की चौसठवीं बैठक शुक्रवार, दिनांक 25.03.2022 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति –अध्यक्ष

1. डॉ. एस.के. प्रसाद	- सदस्य	7. डॉ. के.एन. शर्मा	- सदस्य
2. डॉ. सौम्या नैथ्यर	- सदस्य	8. डॉ. ममता शर्मा	- सदस्य
3. डॉ. मधुलिका अग्रवाल	- सदस्य	9. डॉ. समीर ठाकुर	- सदस्य
4. डॉ. शैलेन्द्र सराफ	- सदस्य	10. श्री सोनाऊ राम नेताम	- सदस्य
5. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट	- सदस्य	11. श्री सत्यनारायण शर्मा	- सदस्य
6. श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का	- सदस्य	12. श्री द्वारिकाधीश यादव	- सदस्य

डॉ. गिरीशकांत पाण्डेय, कुलसचिव –सचिव

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.01.2022 एवं 21.01.2022 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : संपुष्टि की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.01.2022 एवं 21.01.2022 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. डॉ. उमा गोले, प्रोफेसर, भूगोल अध्ययनशाला के भविष्य निधि से आंशिक पूर्ण भुगतान हेतु राशि रुपए 12,00,000.00 (रुपए बारह लाख मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

4. डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल, प्राध्यापक, इतिहास अध्ययनशाला, सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 26,72,159.00 (रुपए छब्बीस लाख बहत्तर हजार एक सौ उनसठ मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

5. श्री तीर्थ राम यादव, वरिष्ठ अधीक्षक, सामान्य प्रशासन विभाग के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 7,21,281.00 (रुपए सात लाख इक्कीस हजार दो सौ इक्यासी मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

②

6. स्व. श्री प्रकाश क्षत्री, द्वितीय श्रेणी लिपिक, छात्र कल्याण विभाग का आकस्मिक निधन पश्चात् सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 11,02,355.00 (रुपए ग्यारह लाख दो हजार तीन सौ पचपन मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

7. सत्र 2021-22 में विश्वविद्यालय शोध छात्रवृत्ति हेतु राशि A GENERAL ADMINISTRATION 20. Additional Provision for Land Acquisition रुपए 200.00 लाख, मद से राशि रुपए 7,00,000.00 (रुपए सात लाख मात्र) स्थानांतरित कर पुनर्विनियोजित करने पर विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

8. रूसा मद से लगभग रुपए 26,52,769.00 (रुपए छब्बीस लाख बावन हजार सात सौ उनहत्तर मात्र) के उपकरण क्रय के भुगतान को विश्वविद्यालय मद से मेचिंग शेयर के रूप में भुगतान करने के लिए स्वीकृत बजट में अतिरिक्त प्रावधान मान्य करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

#### संपादक विश्वविद्यालय पत्रिका से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के जर्नल में प्रकाशित होने वाले शोध आलेखों के समीक्षक (Reviewers) को मानदेय प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : स्थगित रखा जाए।

#### गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. वर्ष 2020-21 की विभिन्न सेमेस्टर एवं पूरक परीक्षाओं (मई-जून 2021) के गोपनीय मुद्रण कार्य के भुगतान की राशि रु. 8,18,185.00 (रुपए आठ लाख अठारह हजार एक सौ पच्चासी मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

#### कंप्यूटर सेंटर गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

11. विश्वविद्यालय के कंप्यूटरों के लिए 400 नग एंटीवायरस क्रय हेतु रुपए 7,59,731=00 (रुपए सात लाख उनसठ हजार सात सौ इकतीस मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

12. विश्वविद्यालय परिसर में वाई-फाई की स्थापना किए जाने हेतु अनुमानित व्यय रुपए 43,86,000=00 (रुपए तिरालिस लाख छियासी हजार मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

3

13. विश्वविद्यालय के अध्ययनशालाओं/विभागों के लिए Office Pro Plus 2021 SNGL OLP NL Acdmc OR Higher लायसेंस कॉपी क्रय करने हेतु अनुमानित व्यय रूप 20,06,000=00 (रुप 20 लाख छः हजार मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

14. छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 3-32/2020/38-1 दिनांक 14.02.2022 के परिपालन में इस विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय भुगतान की अधिकतम सीमा को रु. 20800/- प्रतिमाह से रु. 31200/- प्रतिमाह किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

15. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 1-3/2012/1/5 दिनांक 02 फरवरी, 2022 के अनुपालन में माह के द्वितीय एवं तृतीय शनिवार की भाँति सभी शनिवार को अवकाश घोषित किए जाने के संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 1-3/2012/1/5 दिनांक 02 फरवरी, 2022 को अंगीकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

16. श्याम बालाजी महाविद्यालय, महासममुंद में प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में बंद लिफाफा खोलना।

निर्णय : प्राचार्य के पद के लिए चयन समिति द्वारा अनुशंसित डॉ. अनघा आगाशे के नाम का अनुमोदन किया गया।

इलेक्ट्रानिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

17. इलेक्ट्रानिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला के लिए निर्माता कंपनी से क्रय हेतु प्रस्तावित उपकरण (Quantum Efficiency and IV measurement system) के लिए 5 प्रतिशत जी.एस.टी. के स्थान पर 18 प्रतिशत जीएसटी हेतु प्रस्तावित राशि रूप 16,19,904/- (रुप 16 लाख 19 हजार 904 नौ सौ चार मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक TU/V/G-CDE (448)/2021 प्राप्त हो चुका है, तदनुसार अब इसकी आवश्यकता नहीं है।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

18. वित्तीय वर्ष 2020-21 वास्तविक आय-व्यय, वर्ष 2021-22 पुनरीक्षित आय-व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रस्तावित आय-व्यय के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय : वित्तीय वर्ष 2020-21 वास्तविक आय-व्यय, वर्ष 2021-22 पुनरीक्षित आय-व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु प्रस्तावित आय-व्यय का अनुमोदन किया गया।

## पूरक विषयसूची

### वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

1. श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 32,79,201.00 (रुपए बत्तीस लाख उन्चासी हजार दो सौ एक मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।
2. डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेंद्र पाल, सेवानिवृत्त प्राध्यापक के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 20,42,352.00 (रुपए बीस लाख बयालीस हजार तीन सौ बावन मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।  
निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।
3. डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती, सेवानिवृत्त प्राध्यापक के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 8,74,005.00 (रुपए आठ लाख चौहत्तर हजार पाँच मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।  
निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।
4. विश्वविद्यालय दैनिक वेतन भोगी के भविष्य निधि जमा पर दंड एवं ब्याज भुगतान की राशि रु. 21,89,777.00 (रुपए ईक्कीस लाख नवासी हजार सात सौ सत्तर मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।  
निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

### अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. साईं सदन एजुकेशन स्कूल बेंद्री, अभनपुर, जिला-रायपुर में शासी निकाय के दो सदस्य मनोनयन के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : साईं सदन एजुकेशन स्कूल बेंद्री अभनपुर जिला-रायपुर (अशासकीय महाविद्यालय) में शासी निकाय गठन हेतु निम्नलिखित दो सदस्यों के मनोनयन का अनुमोदन किया गया :-  
  1. डॉ. (श्रीमती) प्रियंवदा श्रीवास्तव, प्रोफेसर, मनोविज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
  2. डॉ. (श्रीमती) माया वर्मा, प्रोफेसर, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

### विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

6. स्टूडेंट टेबल एवं स्टूडेंट चेयर क्रय देयक रु. 14,62,020=00 (रुपए चौदह लाख बासठ हजार बीस मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।  
निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।



7. विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग एवं अध्ययनशाला हेतु स्टेशनरी सामग्री क्रय करने के लिए संबंधित फर्मों को रु. 22,46,789.00 (रुपए बाईस लाख छियालीस हजार सात सौ नवासी मात्र) के भुगतान हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग/अध्ययनशाला/परीक्षा एवं गोपनीय विभाग के उपयोग हेतु स्टेशनरी सामग्री आपूर्ति करने के पश्चात् भुगतान किए जाने वाले राशि निम्नानुसार है :-

क्र.	फर्म का नाम	राशि (अंको में)
1.	Swapnil Products, Raipur	रु. 78,750.00
2.	मारुति ट्रेडर्स, रायपुर	रु. 39,600.00
3.	Daksh Stationers, Raipur	रु. 3,91,725.00
4.	Vinayak Enterprises, Raipur	रु. 15,77,190.00
5.	Asheesh Enterprises, Raipur	रु. 77,024.00
6.	Swastik Printery, Raipur	रु. 82,500.00

उपरोक्त फर्मों से रु. 22,46,789.00 (रुपए बाईस लाख छियालीस हजार सात सौ नवासी मात्र) की स्टेशनरी खरीदने की प्रशासनिक एवं भुगतान की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

#### यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. विश्वविद्यालय परिसर में 100 नग Street Light Pole एवं उसमें LED Street light fitting हेतु कुल अनुबंध राशि रु. 24,21,615.00 (रुपए चौबीस इक्कीस हजार छः सौ पंद्रह मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

9. विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति की बैठक मंगलवार दिनांक 01.02.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति की बैठक मंगलवार दिनांक 01.02.2022 के कार्यवृत्त का निम्नानुसार अनुमोदन किया गया।

- विश्वविद्यालयके खराब हुई सड़कों के सुधार एवं डामरीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रु 50.00 लाख का अनुमोदन एवं कार्य लोक निर्माण विभाग से कराए जाने की अनुशंसा की गई।
- एकीकृत परीक्षा हाल भवन निर्माण हेतु आर्केटेक्ट फर्म भारती एंड एसोसियट्स रायपुर द्वारा प्रस्तुत ड्राइंग डिजाइन एवं भूतल निर्माण प्राक्कलन राशि रु. 2.84 करोड़ का अनुमोदन किया गया एवं कार्य लोक निर्माण विभाग से कराए जाने की अनुशंसा की गई।
- विश्वविद्यालय द्वारा सिविल, विद्युतीय, जल प्रदाय एवं सेनेटरी कार्यों हेतु आंमत्रित निविदा 25-25 लाख को निरस्त कर पुनः निविदा आंमत्रित करने की अनुशंसा की गई।
- विश्वविद्यालयप्रस्तावित गेस्ट हाऊस निर्माण हेतु आर्केटेक्ट फर्म श्रीवास्तव बागरेचा एंड एसोसियट्स रायपुर द्वारा प्रस्तुत ड्राइंग डिजाइन एवं प्राक्कलन राशि रु. 3,74,11000/- का अनुमोदन किया गया एवं कार्य लोक निर्माण विभाग से कराए जाने की अनुशंसा की गई।

6

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2021-22 हेतु अनुचित साधन (UFM) निराकरण समिति के गठन पर विचार करना।  
निर्णय : अनुचित साधन (UFM) निराकरण समिति के गठन हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

1. विश्वविद्यालय विद्या-परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 25.03.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 94/एफ 2019-04-04884/वि/नि/चार, दिनांक 03.02.2022 वित्त निर्देश 1/2022 के अनुरूप राज्य शासन के अधिसूचना क्रमांक 977/सी-761/वि/नि/चार/04, दिनांक 27.10.2004 के द्वारा अधिसूचना के बिंदु क्रमांक 02 में संशोधन पश्चात् प्रत्येक कर्मचारियों का अंशदायी पेंशन योजना में अपने वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10% के समान मासिक अंशदान तथा राज्य शासन (विश्वविद्यालय) का मासिक अंशदान कर्मचारी के वेतन और महंगाई भत्ते 14% किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

3. वार्षिक परीक्षा 2022 (मार्च-अप्रैल) हेतु केंद्र अग्रिम राशि रुपए 81,90,000.00 (रुपए इक्यासी लाख नब्बे हजार मात्र) के भुगतान की स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

4. श्री गोपाल चंद्राकर, तकनीकी सहायक की सी.पी.एफ. राशि रुपए 11,71,244.00 (रुपए ग्यारह लाख इकहत्तर हजार दो सौ चौवालीस मात्र) के अंतिम भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

5. कार्पस फंड समिति की आयोजित बैठक दिनांक 21.03.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

विकासविभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

6. केंद्रीय क्रय समिति के लिए कार्यपरिषद सदस्यों में से एक सदस्य के मनोनयन के संबंध में विचार करना।

निर्णय : केंद्रीय क्रय समिति के लिए कार्यपरिषद सदस्यों में से एक सदस्य के मनोनयन हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार से प्राप्त प्रस्ताव :-

7. अरविंद प्रकाशन, उदयपुर से दिनांक 10.06.2021 को क्रय की गई पुस्तकों (Print)के राशि रु. 7,17,494.00 (रुपए सात लाख सत्रह हजार चार सौ चौरनबे मात्र) के भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

### गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. पी-एच.डी. उपाधि के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : पी-एच.डी. हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 12.08.2021 से 10.03.2022 (अधिसूचना क्रमांक 3499 से 3582 तक) की निम्नानुसार अनुमोदन किया :-

कला संकाय	-	हिंदी-09, संस्कृत-01, अंग्रेजी-03, दर्शन-01
सामाजिक विज्ञान संकाय	-	समाजशास्त्र-04, इतिहास-03, मनोविज्ञान-03, राजनीति विज्ञान-10, अर्थशास्त्र-06, प्रा.भा. इतिहास-01, क्षेत्रीय अध्ययन-01
वाणिज्य संकाय	-	वाणिज्य-09
प्रबंध संकाय	-	प्रबंध-01
विधि संकाय	-	विधि-01
शिक्षा संकाय	-	शिक्षा-04
शारीरिक शिक्षा संकाय	-	शारीरिक शिक्षा-02
गृह विज्ञान संकाय	-	गृह विज्ञान-02
विज्ञान संकाय	-	भौतिक-02, रसायन-05, भूगोल-03, गणित-01, सांख्यिकी-01
जीव विज्ञान संकाय	-	माइक्रोबायोलॉजी-02, बायोसाइंस-04, प्राणीविज्ञान-03, बायोटेक्नालॉजी-01, मानव विज्ञान-01

### सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-


9. विवेकानंद चेयर प्रोफेसर, चयन समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णय : विवेकानंद चेयर प्रोफेसर, चयन समिति की अनुशंसा अनुसार प्रो. (डॉ.) मीताश्री मित्रा के नाम का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।



कुलपति  
अध्यक्ष




कुलसचिव  
सचिव

पृ.क्रमांक : 1406 / अका./ का.प./ 2022

रायपुर, दिनांक 26 / 03 / 2022

### प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला / समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् / जनसंपर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक / प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



उप कुलसचिव (अका.)



# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

(8)

क्रमांक : 1427/अका./का.प./2022

रायपुर, दिनांक 01/04/2022

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की पैसठवीं (आपातिक) बैठक शुक्रवार, दिनांक 01.04.2022 को अपराह्न 1:00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष

- |                        |         |                     |         |
|------------------------|---------|---------------------|---------|
| 1. डॉ. एस.के. प्रसाद   | - सदस्य | 5. डॉ. के.एन. शर्मा | - सदस्य |
| 2. डॉ. सौम्या नैय्यर   | - सदस्य | 6. डॉ. ममता शर्मा   | - सदस्य |
| 3. डॉ. मधुलिका अग्रवाल | - सदस्य | 7. डॉ. समीर ठाकुर   | - सदस्य |
| 4. डॉ. शैलेन्द्र सराफ  | - सदस्य |                     |         |

डॉ. गिरीशकांत पाण्डेय, कुलसचिव – सचिव

01. छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-33/2020/38-1, दिनांक 28.03.2022 के परिपालन में शिक्षा सत्र 2021-22 की वार्षिक परीक्षा मार्च-अप्रैल 2022 की परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-33/2020/38-1, दिनांक 28.03.2022 के परिपालन में वार्षिक परीक्षा मार्च-अप्रैल 2022 परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति के लिए विनियम क्रमांक-182 D एवं विश्वविद्यालय विद्या-परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 01.04.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

  
कुलपति  
अध्यक्ष


  
कुलसचिव  
सचिव

पृ. क्रमांक : 1428/अका./का.प./2022

रायपुर, दिनांक 01/04/2022

प्रतिलिपि :-

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
- कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
- अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
- वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)